कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या– 3244 /26–11 (नजीबाबाद–कोटद्वार मार्ग (एन0एच0–119)) लखनऊः दिनांकः 21 मई, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषयः– जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ द्वारा नजीबाबाद–कोटद्वार मार्ग (एन0एच0–119) from 2 lane to 2 lane paved Shoulder from Existing Chainage 120+900 to 137+760 (Design chainage 120+900 to 137+760) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/Road/143597/2021**)

सन्दर्भः– 1–आपका पत्रांक–1081/14–1, दिनांक 04.10.2022, पत्रांक–1434/14–1, दिनांक 07.11.2022, पत्रांक–2616/14–1, दिनांक 24.04.2024 एवं पत्रांक–2894/14–1, दिनांक 20.05.2024
2–इस कार्यालय का पत्रांक–1535/26–11 (नजीबाबाद–कोटद्वार मार्ग/(एन0एच0–119), दिनांक 08.11.2022, पत्रांक–3210/26–11 (नजीबाबाद–कोटद्वार मार्ग (एन0एच0–119), दिनांक 16.05.2024

महोदय,

आप अवगत हैं कि विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/257/2022/एफ.सी./483, दिनांक 08.09.2022 द्वारा उठाई गई आपत्तियों में आपत्ति बिन्दु संख्या–1, "………concurrence of CWLW is required for any measures required to be undertaken for Wildlife protection" के निस्तारण के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 04.10.2022 के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक–748/14–1, दिनांक 03.10.2022 द्वारा प्रेषित आख्या एवं आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 07.11.2022 के साथ संलग्न उप वन संरक्षक, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के पत्रांक–1262/24–1, दिनांक 07.11.2022 द्वारा प्रेषित रू0 2,40,31,062.00 (रूपया दो करोड़ चालीस लाख इकत्तिस हजार बासठ मात्र) के वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रस्ताव पर इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.11.2022 द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वन्यजीव/हाथी बाहुल्य होने के दृष्टिगत वन्यजीवों/हाथियों के सुरक्षित वास स्थल, रख–रखाव व आवागमन, वन्यजीवों/हाथियों तथा जनसामान्य की परस्पर दिन–प्रतिदिन दैनिक–नैमित्तिक सुरक्षा व संरक्षा तथा जनता को जागरूक करते हुए वन्यजीवों/हाथियों के सम्बन्ध में सामान्य जानकारियां, सूचनाएं एवं सावधानियां आदि से अवगत कराने के लिए बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले नजीबाबाद–कोटद्वार मार्ग (एन0एच0–119) में वन्यजीवों की उपस्थिति, वाहनों की गतिसीमा नियंत्रण आदि से सम्बन्धित सूचना का उल्लेख करते हुए साइनबोर्ड लगाए जाने का सुझाव दिया गया।

पुनः आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.04.2024 के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक–4840/15–1, दिनांक 23.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/257/2022/एफ.सी./759, दिनांक 13.12.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–21, "User agency shall provide requisite funds for site specific Wildlife Conservation/ Mitigation measures. U.P. State Govt. needs to review and submit the site specific Wildlife Conservation Plan" के क्रम में रू0 1,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठारह

हजार तीन सौ पचास मात्र) का संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan तैयार कराकर एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की दिनांक 23.04.2024 को आर0ए0सी0 की वी0सी0 में दिए गए निर्देश के क्रम में रू0 1,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) की उक्त संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति पर अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु इस कार्यालय से अनुरोध किया गया।

उक्त के परीक्षणोपरान्त इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से आप द्वारा प्रेषित रू0 1,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) के उक्त संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति को संस्तुति सहित इस कार्यालय के अनुमोदनार्थ/अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.05.2024 के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक–5282/14–1, दिनांक 18.05.2024 द्वारा प्राप्त रू0 01,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) की संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति सहमति सहित इस कार्यालय के अनुमोदनार्थ/अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया गया।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/257/2022/एफ.सी./759, दिनांक 13.12.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की उपरोक्त शर्त संख्या–21 एवं दिनांक 23.04.2024 को आर0ए0सी0 की वी0सी0 में दिए गए निर्देश के क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.05.2024 द्वारा प्रेषित रू0 1,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) के उक्त संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति पर अनुमोदन इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.11.2022 द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सशर्त सहमति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

भवदीय,

Shrivastava

(संजय श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– 3244 /उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, बरेली।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
4. उप वन संरक्षक, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद।

Shrivastava

(संजय श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।